



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 160-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020 (KARTIKA 6, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

संख्या 91/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन तक, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन **प्रारूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त—कम—राज्य,
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification
The 28th October, 2020

No. 91/GST-2.— In exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 37 read with section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2020 to March, 2021 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under Sub-section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise & Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.